



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082020-220839
CG-DL-E-04082020-220839

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2284]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2020/श्रावण 9, 1942

No. 2284]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2020/SHRAVANA 9, 1942

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2020

का.आ. 2578(अ).—दिनांक 17.08.2006 को अधिसूचित तथा दिनांक 16.05.2016 को संशोधित मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक की अर्हताएं, शक्तियां और कृत्य नियम, 2006 (इसके पश्चात् जो उक्त नियम कहलाए) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दी गई इस अधिसूचना की तारीख से सीईए में उनके कार्यकाल तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सीईए के लिए विद्युत निरीक्षक के रूप में उपर्युक्त नियम में उल्लिखित अर्हता और शर्त को पूरा करने के अध्यधीन नियुक्त करती है:-

क्रम सं.	नाम (श्री)	पदनाम	तैनाती का स्थान	के रूप में प्रस्तावित नियुक्ति
1	शरद चंद्र भूपेश	उप निदेशक	सीईआई प्रभाग	विद्युत निरीक्षक
2	श्री कार्तिक वगीचारला	सहायक निदेशक-I	आरआईओ (डब्ल्यू)	विद्युत निरीक्षक
3	श्री संदीप कुमार	सहायक निदेशक-I	आरआईओ (डब्ल्यू)	विद्युत निरीक्षक
4	श्री सुभाष रुबेन टुडे	सहायक निदेशक-I	आरआईओ (डब्ल्यू)	विद्युत निरीक्षक

ऊपर उल्लिखित अधिकारी समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010, में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार सीईए के क्षेत्राधिकार में विद्युत कार्यों, विद्युत संस्थापनाओं तथा विद्युत रोलिंग स्टॉक से संबंधित कार्यों में अधिकारों का प्रयोग करेंगे तथा अपना कार्य निष्पादित करेंगे।

यह सुनिश्चित करना होगा कि उपरोक्त अधिकारी किसी भी विद्युत कार्य अथवा उसके अधिष्ठापन, निष्पादन या रख-रखाव के संबंध में, जो उनका उत्तरदायित्व है, विद्युत निरीक्षक नहीं होंगे।

विद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी वह प्रशिक्षण लेंगे जो उस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा आवश्यक समझे तथा ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के लिए पूरा किया जाएगा।

[फा. सं. 42/5/2016-आरएण्डआर]

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2020

S.O. 2578(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualification, Power and Function of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 (herein after called the said Rules) notified on 17.8.2006 and as amended on 16.05.2016, the Central Government hereby appoints the following officers of Central Electricity Authority as Electrical Inspector for CEA, from the date of this Notification till their tenure in CEA or till further orders, whichever is earlier, subject to fulfilment of the qualification and Condition mentioned in the said Rules.

Sl. No.	Name (Shri)	Designation	Place of Posting	Proposed to be appointed as
1	Sharad Chandra Bhupesh	Deputy Director	CEI Division	Electrical Inspector
2	Shri Kartik Vagicharla	Assistant Director-I	RIO (W)	Electrical Inspector
3	Shri Sandeep Kumar	Assistant Director-I	RIO (W)	Electrical Inspector
4	Shri Subhash Ruben Tude	Assistant Director-I	RIO (W)	Electrical Inspector

The above mentioned officers shall exercise the powers and perform his functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operation within the jurisdiction of CEA, as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

It shall be ensured that above said officers do not function as the Electrical Inspector in respect of any electrical work or installation, the execution or maintenance of which is their responsibility.

The officers appointed as Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F. No. 42/5/2016-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.